

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलेक्टर, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या -71/2023
GCMS No. -2023/292

1. श्री उदयलाल उर्फ अशोक कुमार पिता बगदीराम धाकड निवासी बडौली माधोसिंह तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।

बनाम

1. कमला बाई पुत्री शंकरलाल धाकड, निवासी 'बडौली माधोसिंह तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
2. श्रीमति कान्ता पत्नि बगदीराम धाकड निवासी बडौली माधोसिंह तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
3. श्री जगदीश पिता रतनलाल धाकड निवासी बडौली माधोसिंह तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
4. श्री बाबुलाल पिता बगदीराम धाकड निवासी बडौली माधोसिंह तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
5. मु० धापु बाई पत्नि स्व० शंकरलाल धाकड निवासी बडौली माधोसिंह तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
6. मुकेश पिता बगदीराम धाकड निवासी बडौली माधोसिंह तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
7. श्री लाभचन्द्र पिता रतनलाल धाकड निवासी बडौली माधोसिंह तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
8. श्यामा बाई पुत्री शंकरलाल धाकड निवासी बडौली माधोसिंह तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
9. श्री सत्यनारायण पिता बगदीराम धाकड निवासी बडौली माधोसिंह तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
10. सन्तोष पिता शंकरलाल धाकड निवासी बडौली माधोसिंह तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
11. श्रीमति सुल पत्नि रतनलाल धाकड निवासी बडौली माधोसिंह तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार निम्बाहेडा।

— प्रतिवादीगण

वाद तहत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :- 09.10.2024



प्रकरण में आज दिनांक को वादीग के अधिवक्ता श्री लाभचन्द्र धाकड एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के अधिवक्ता श्री हीना खान उपस्थित में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि कि विवादित भूमि वाके मौजा बडौली माधोसिंह तहसील

सहायक कलेक्टर
निम्बाहेडा

उदयलाल बनाम कमला बाई


प्रकरण संख्या - 71/2023

GCMS No. - 2023/292

निम्बाहेडा के आराजी नम्बर 304 रकबा 0.0900 गे.मु.बाडा, आराजी नम्बर 308 रकबा 0.1900 हैक्टेयर चाही ए, आराजी नम्बर 311 रकबा 0.0900 खलिहान, आराजी नम्बर 311 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 478 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 485 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 486 रकबा 3.2400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 899 रकबा 0.0700 गे0मु0चाह, आराजी नम्बर 900 रकबा 0.4200 चाही 3, आराजी नम्बर 322 रकबा 0.200 चाही ए, आराजी नम्बर 324 रकबा 0.1300 चाही ए, आराजी नम्बर 464 रकबा 0.0800 चाही 4, आराजी नम्बर 465 रकबा 0.1600, आराजी नम्बर 565 रकबा 0.8700, आराजी नम्बर 621 रकबा 0.800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 693 रकबा 0.0600, आराजी नम्बर 824 रकबा 1.2100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 451 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 310 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 450 रकबा 0.100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 452 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 908 रकबा 0.100 गे.मु. चाह, आराजी नम्बर 327 रकबा 2.6400 हैक्टेयर स्थित भूमि में वादी क्रमांक 1 का नाम उदयलाल पिता बगदीराम जाति धाकड के बजाए अशोक कुमार पिता बगदीराम जाति धाकड खातेदारी में घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। तहसीलदार निम्बाहेडा उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। बैंक रहन होने पर यथावत रखा जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज दिनांक 09.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा